-1-

न्यायालय श्रीमान म.प्र. राजस्व मंडल, केम्प जबलपुर

राजस्व पुनरीक्षण क्र.   /2006

मूलचन्द आत्मज श्री उम्मेद सिंह पंवार
उम्र-54 वर्ष, व्यवसाय-कृषि
निवासी-पांढ़रवानी थाना-अरी
उप-तह.-धपारा, तह-बरघाट
जिला-सिवनी (म.प्र.)

------ आवेदक

विरूध्द

1. श्रीमती रेवन बाई
उम्र-42 वर्ष, व्यवसाय-कृषि

2. श्रीमती शकुन बाई
उम्र-40 वर्ष, व्यवसाय-कृषि
दोनों धर्म पत्नियां श्री सरूपचंद
जाति-तेली, निवासी-पांढ़रवानी
थाना व तह.-बरघाट, जिला-सिवनी (म.प्र.)

------ अनावेदिकागण

राजस्व पुनरीक्षण अंतर्गत धारा 50 म.प्र. भू-राजस्व संहिता, 1959

आवेदक, विचारण राजस्व न्यायालय श्रीमान् नायब तहसीलदार धपारा (गंगेरूआ) जिला-सिवनी द्वारा रा.मा.क्र. 1/अ-12/04-05 रेवन बाई एवं 01 अन्य - विरूध्द - मूलचंद पंवार के प्रकरण में पारित आदेश दिनाँक 20.04.05 से व्यथित हो प्रस्तुत कर रहा है :-

आवेदक माननीय न्यायालय से निम्न निवेदन करता है :-

तथ्य

संक्षेप में तथ्य निम्नानुसार है :-

1. यह कि अनावेदिका गण द्वारा विचारण न्यायालय के समक्ष एक आवेदन-पत्र वास्ते खेती निस्तारी रास्ते पर अवरोध हटाने बावत् आवेदक के विरूध्द प्रस्तुत किया जिसमें अनावेदिकागण द्वारा लेख किया कि वे ग्राम पांढरवानी प.ह.नं. 28/61 रा.नि.मं. एवं उप-तह.-धपारा (गंगरूआ), जिला-सिवनी (म.प्र.) की भूमि स्वामी कृषक है। जिनकी भूमि खसरा नं. 56/2, 56/3, 56/4, 56/5, 56/6,=05 रकवा 0.65 हैक्टेयर है, की भूमि स्वामी है तथा उसकी भूमि आवेदक की कृषि भूमि लगी है। जिसकी मेड़ पर से अनावेदिका गण आना एवं मार्गाधिकार है। उक्त सुखाधिकार में उपयोग आवेदक अवरोध उत्पन्न करता है, तदानुसार मार्गाधिकार को बहाल करने हेतु अनावेदिका गण विचारण न्यायालय के समक्ष आवेदन पेश किया जिसका निराकरण विचारण न्यायालय द्वारा आवेदक के विरूध्द किया गया तदानुसार यह राजस्व पुनरीक्षण निम्न आधार पर प्रस्तुत है।

आधार

2. यह कि विचारण न्यायाल द्वारा मूल प्रकरण में आवेदक तथा लंबित पुनरीक्षण में अनावेदिकागण द्वारा जो आवेदन विचारण न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया गया है। उसमें अपने आवेदन में यह मिथ्या अभिकथन किया है कि आवेदक के खेत की मेड़ से उसका आवागमन है, जबकि सत्य यह है कि विचारण न्यायालय द्वारा मौके का वास्तविक रूप से सत्यापन कराया गया और न ही आवेदक के इस कथन की

XXXIX(a)BR(H)-11

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

प्रकरण क्रमांक निग0 1499–पीबीआर/07 जिला – सिवनी

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
27–4–16	उभयपक्ष की ओर से कोई उपस्थित नहीं । प्रकरण का अवलोकन किया इस प्रकरण में आवेदक अधिवक्ता दिनांक 26–05–09 को उपस्थित थे इसके उपरांत लगातार अनुपस्थित हैं, उन्हें आगामी पेशियों की सूचना भी दी गई है किंतु आवेदक या उनके अधिवक्ता निरंतर अनुपस्थित हैं । इससे ऐसा प्रतीत होता है कि आवेदक को इस प्रकरण को चलाने में कोई रूचि नहीं है । अतः प्रकरण को आवेदक द्वारा रूचि न लेने के कारण इसी स्तर पर समाप्त किया जाता है । प्रकरण दाखिल रिकार्ड हो । सदस्य	